ई–मेल/डाक

राजस्थान सरकार
(निर्वाचन विभाग)

क्रमांकः प.6(1)(35)रोल/निर्वा/2016/4011 जयपुर, दिनांक 4/11/2016

प्रेषक : मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर

प्रेषित : समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
(कलक्टर) राजस्थान।

विषय : अर्हता दिनांक 01.01.2017 के संदर्भ में मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम – मतदान केन्द्रों के पुनर्गठन के पश्चात् ERMS के माध्यम से प्रारूप मतदाता सूची तैयार करने के संबंध में।

प्रसंग : इस विभाग का समसंख्यक पत्र क्रमांक 3950 दिनांक 26.10.2016 एवं पत्र क्रमांक 3965 दिनांक 27.10.2016

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत इस विभाग के प्रासंगिक पत्र क्रमांक 3950 दिनांक 26.10.2016 के द्वारा राज्य के 23 जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) (जिला बॉसवाड़ा, भीलवाड़ा, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, धौलपुर, झुन्झुंनू, जोधपुर, करौली, प्रतापगढ़, श्रीगंगानगर एवं भरतपुर, अलवर, बारॉ जिले की क्रमशः 3, 1 व 1 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों को छोड़कर) के मतदान केन्द्रों के प्रस्ताव भारत निर्वाचन आयोग को अनुमोदन हेतु प्रेषित किए गए है। इन प्रस्तावों पर आयोग से अनुमोदन यथाशीघ्र प्राप्त हो जाएगा तथा तद्नुसार आपको सूचित कर दिया जाएगा।

2. इस विषय में कृपया विभाग के प्रासंगिक पत्र 3965 दिनांक 27.10.2016 का अवलोकन करें जिसमें राज्य के ऐसे 10 जिले जहॉ पर कि मतदान केन्द्रों का पुनर्गठन नहीं किया गया है वहॉ पर आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 18 नवम्बर, 2017 को प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन करने हेतु ERMS के माध्यम से त्रुटिरहित मतदाता सूची का प्रिन्ट प्राप्त कर तथा आवश्यकतानुसार फोटोंकॉपी आदि करवाकर इसका प्रयोग करने के निर्देश दिए गए है। **इन जिला निर्वाचन अधिकारियों (कलक्टर) से अनुरोध है कि वह बिना किसी विलम्ब के प्रारूप मतदाता सूची 2017 के मुद्रण का कार्य अविलम्ब करवा लेवें। साथ ही विधानसभा क्षेत्रवार प्रारूप मतदाता सूची की सीडी अविलम्ब विभाग को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें ताकि प्रारूप प्रकाशन की तिथि 18 नवम्बर, 2017 को जहॉ एक ओर मतदान केन्द्रों पर प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा, वहीं दूसरी ओर विभाग की वेबसाईट पर प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन किया जा सकें।**

3. राज्य के उपरोक्तानुसार उल्लेखित 23 जिलों में मतदान केन्द्रों के पुनर्गठन के प्रस्तावों के अनुसार ERMS के माध्यम से मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन हेतु तैयार की जानी है। दिनांक 02 नवम्बर, 2016 को राज्य के सभी जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय के अधिकारीगणों एवं संबंधित कर्मचारियों के साथ आयोजित वीसी में पावर

पाईन्ट प्रजेन्टेशन के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। इस वीसी के दौरान इन जिलों के जिला कार्यालयों को निर्देशित किया गया है कि वह ERMS के माध्यम से सभी प्रारम्भिक कार्य अर्थात पुनर्गठन के प्रस्तावों के अनुसार विभिन्न फोरमेट में वांछित डेटा एन्ट्री का कार्य ERMS पर कर लें तथा इसकी चैकलिस्ट का प्रिन्ट लेकर इसकी जॉच करने के पश्चात इसे दिनांक 07 नवम्बर, 2016 तक अन्तिम रूप देवें जिससे कि प्रस्तावों के अनुसार ERMS पर कार्यवाही करने के पश्चात् डाटा प्रोसेसिंग हेतु विभाग स्तर से ERMS पर इसकी सुविधा प्रदान करने के तुरन्त बाद पुनर्गठित मतदान केन्द्रों की मतदाता सूची का प्रिन्ट प्राप्त किया जाकर प्रारूप प्रकाशन हेतु फोटोकॉपी आदि का कार्य करवाया जा सकें।

4. राज्य के उपरोक्त 23 जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) के स्तर पर उक्त कार्य अधिक सावधानी से एवं गम्भीरता से किया जाना है। यह कार्य जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर)/उप जिला निर्वाचन अधिकारी की देखरेख में सम्पादित किया जाएगा तथा प्रत्येक चैकलिस्ट की जॉच करते हुए अन्तिम रूप से तैयार की गई चैकलिस्ट जिसके अनुसार मतदान केन्द्रों का पुनर्गठन किया जाएगा पर जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर)/उप जिला निर्वाचन अधिकारी/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अपने हस्ताक्षर कर ERMS पर अपलोड करेंगे।
5. इस कार्य के संबंध में यदि किसी प्रकार की कठिनाई आ रही है तो इसके निराकरण हेतु विभाग स्तर से निम्न प्रकार से आई.ए./मंत्रालयिक कर्मचारी की ड्यूटी लगाई गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से सक्षम अधिकारी/कर्मचारी इस संबंध में निम्न कर्मचारियों से सीधे सम्पर्क कर सकते है।

क्र. सं	संभाग	संभागवार जिले	आई.ए./मंत्रालयिक कर्मचारी का नाम एवं पद	मोबाईल नम्बर
1.	अजमेर	अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर एवं टोंक	श्री गौरव सोनी, लिपिक ग्रेड– I	9694909403
2.	जोधपुर	बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर, जोधपुर, पाली एवं सिरोही	श्री पुनीत, लिपिक ग्रेड– I श्री शिवेन्द्र वार्ष्णेय, सहा0प्रोग्रामर	9413206575 9001632707
3.	उदयपुर	बॉसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, राजसमंद, प्रतापगढ़ एवं उदयपुर	श्रीसी0पी0माथुर,सहा0कार्या0अधीक्षक श्री श्यामलाल सैनी, प्रोग्रामर	9414778425 9414024397
4.	कोटा	बारॉ, बून्दी, झालावाड़ एवं कोटा	श्रीमती हेमेश्वरी शर्मा, लिपिक ग्रेड– I श्रीमती अराधना सक्सैना, प्रोग्रामर	7597782491 9649295593
5.	भरतपुर	भरतपुर, धौलपुर, करौली एवं स0माधोपुर	श्री गिरधारी लाल खींची सुश्री पूनम शर्मा, सूचना सहायक	9252209248 9001310291
6.	बीकानेर	बीकानेर, चुरू, श्रीगंगानगर एवं हनुमानगढ़	श्री मोहनदास कर्मचन्दानी,कार्या0अधीक्षक श्रीमती दीपलक्ष्मी, सहा0 प्रोग्रामर	9828310840 9928739535
7.	जयपुर	अलवर, दौसा, जयपुर, झुन्झुंनू एवं सीकर	श्री रोशन मूर्तिकार, लिपिक ग्रेड–I श्री गजेन्द्र राठौड़, सहा0प्रोग्रामर श्री शिवशंकर, सूचना सहायक	9929767296 9799179970 9799538528

6. ERMS के माध्यम से मतदान केन्द्रों पर प्रारूप मतदाता सूची तैयार करने हेतु दिनांक 02 नवम्बर, 2016 को आयोजित वीसी में दिए गए पावर पाईन्ट प्रजेन्टेशन की कॉपी ईमेल से आपको प्रेषित कर दी गई है तथा विभाग की वेबसाईट पर भी उपलब्ध है। इस विषय में तकनीकी निर्देश इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किए जा रहे है। आपसे अनुरोध है कि आप उपरोक्त दिशा–निर्देश के अनुसार निर्धारित समय सीमा के अन्दर रहते हुए सभी कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करें ताकि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित दिनांक 18 नवम्बर, 2016 को प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन किया जा सके।

कृपया उपरोक्त दिशा–निर्देशों की पालना किया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

ह०.

(हरिशंकर गोयल)
कार्यवाहक मुख्य निर्वाचन अधिकारी
राजस्थान, जयपुर।

कमांकः प.6(1)(35)रोल/निर्वा/2016/ 5011

जयपुर, दिनांक 5/11/2016

प्रतिलिपि :–

1. समस्त अधिकारीगण, निर्वाचन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. संबंधित अधिकारीगण/संबंधित कर्मचारीगण, निर्वाचन विभाग, जयपुर।

अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी
राजस्थान, जयपुर।

Step by step to carried-out the Re-Organisation module :

1. Download the latest **Online ERMS Software** from Google Drive.
2. Run "**Summary Revision - ERO Software**".
3. Login into the account with user name & password of concerned ERO.
4. Select "**Part Relationzation**" option from available options.
5. Select "**Input**" option for making data entry.
6. Enter the data of re-organised parts in appear window one by one.
7. **Source part** no means, which part no from where electors to be shifted in another parts and **Destination part no** means in which part no, where a range of electors of source part to be merged in this part.
8. In this window, you are required to enter the data of only re-organised part, parts divided and parts, which have been merged.
9. For example, out of 265 parts in a constituency, 10 parts have been merged, 15 parts have been divided (i.e. Split) and 20 parts have been re-organsationed. Reaming 215 parts of this constituency doesn't effected. Then, you are required to enter the details of only 45 parts (i.e. 10+15+20). You are not required to enter the details of unchanged 215 parts in Input window.
10. Data entry made by you in this window can be updated with the help of avail "**Edit**" option and "Save" option to save the current record.
11. **In any case, source Part number and destination part no could not be same.**
12. After making of data entry of all re-organsationed parts of concerned constituency and making corrections, if required, Select "Print Checklist" Option for generating complete list in "Report-I" format for final proof reading and ensure correctness at ERO level.
13. After ensuring correctness of Report-I, select "**Process**" option from "**Part-relation**" option from main screen, then select "**Create Mapping**" option for generating list of all existing and new parts in "Report-II" format. In this report, new part will be assigned by System automatically, which should to be updated by the ERO concerned.

14. All ERO are requested to please make detailed checking of Report-II and also assign new part number to each and every part in Report-II.
15. In case of split, electors of newly created parts of two existing part, required to go to in single part, then assigned same part no in both the newly created parts.
16. Update the new part no, as assigned by the ERO, using the "**Changing the New Part No**" option available on same menu. This task should be completed with high accuracy.
17. After assigning new part no to each & every part, select "**Freeze**" option to lock the data. Before freezing the data, please ensure completeness of all task and ensure cent-percent correctness of data entry because after selecting "**Freeze**" option, no further corrections can be possible.
18. Upload the PDF file of signed copy of "**Report-II**" using the "Upload Checklist" option.
19. After selecting "**Freeze**" button and also uploading PDF file of signed copy of Report-II, "Process" button will be available for selection. Select the "**Process**" button, to arrange the database of existing electoral rolls according to the new parts.
20. System will take 30-40 minutes time to prepare the database of electoral rolls according to the new parts. After displaying the work complete message. You may generate Report-III, which is showing part wise latest status.
21. Now, Part wise Draft Electoral Rolls-2017 can be generated according the new parts.

Special Note :

1. The above exercise to be carried out only in 23 districts, where work of re-organsation is under submission to the ECI for approval. Remaining 10 districts have strictly directed to don't carried out this task for their constituencies.
2. After re-organsation, part no and serial no of almost electors will be changed, therefore, please update all corrections before exercise this "**Part-Relationzations**" option.

मतदान केन्द्रों के पुनःरीक्षण के पश्चात मूल मतदाता सूची–2016 के डाटा बेस से नये बने मतदान केन्द्रो के अनुसार प्रारूप मतदाता सूची–2017 तैयार करने के संबध में तकनीकी दिशा–निर्देश :–

मतदान केन्द्रों के पुनःरीक्षण में मुख्यतः मतदान केन्द्रों का विभाजन, मतदान केन्द्रों का एकीकरण एवं मतदान केन्द्रों का पुर्नगठन किया गया है। उक्त सूचना को ऑनलाइन ईआरएमएस में दर्ज करने हेतु एक नया सॉफ्टवेयर विकसित किया गया हैं। इस सॉफ्टवेयर में मतदान केन्द्रों के विभाजन (Split), एकीकरण (Merging) एवं पुर्नगठन (Reorganisation) के प्रस्ताव ऑनलाइन दर्ज करने होगे। संबंधित विधान सभा क्षेत्र के उक्त प्रस्तावों की ऑनलाइन डाटा ऐन्ट्री करने के पश्चात उनमें आवश्यक होने पर उनमें संसोधन करने तथा संसोधन के उपरान्त सम्पूर्ण मतदान केन्द्रों की सूची का प्रिन्ट निकालने का प्रावधान हैं। सभी निर्वाचक पंजीकरण अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह उनकी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के पुर्नगठन के प्रस्तावो की आनलाइन ईआरएमएस सिस्टम में डाटा ऐन्ट्री कर मतदान केन्द्रों की सम्पूर्ण सूची का प्रिन्ट आउट निकालकर इसकी शत–प्रतिशत जॉच कर यह सुनिश्चित करलें कि इस सूची के माध्यम से बनने वाले मतदान केन्द्र आपके द्वारा प्रेषित किये गये प्रस्तावों के अनुरूप है।

<u>मतदान केन्द्रों के पुनर्गठन के कार्य को ऑनलाइन ईआरएमएस से करने से पूर्व सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी यह सुनिश्चित करले कि प्रारूप मतदाता सूची–2017 की चैकलिस्ट में अंकित सभी संशोधनों को ईआरएमएस सॉफ्टवेयर के माध्यम से ठीक कर लिया गया हैं। क्योंकि पूनर्गठन के पश्चात मतदाता की भाग संख्या एवं क्र.स. परिवर्तित होने के कारण पुनर्गठन के पश्चात प्रारूप मतदाता सूची–2017 की चैकलिस्ट में अंकित संशोधनों को नई भाग संख्या एवं क्र.स. के अनुसार संशोधन करना संभव नहीं होगा।</u>

मतदान केन्द्रों के पुनर्गठन के कार्य को ऑनलाइन ईआरएमएस से करने के लिए बिन्दुवार कार्यवाही निम्नानुसार की जानी हैं :–

पुर्नगठन :

1, इस हेतु बनाये गये सॉफ्टवेयर में लॉगिन करने के पश्चात सर्वप्रथम संबंधित विधानसभा क्षेत्र का चयन किया जाता हैं तत्पश्चात सोर्स भाग संख्या (Source Part No) का चयन करना है (अर्थात वह मतदान केन्द्र जिसमें से कुछ मतदाताओं को अन्य मतदान केन्द्र में स्थानान्तरित किया जाना है)। एक्शन (Action) में पुनर्गठन का चयन किया जाना हैं। डेस्टीनेशन पार्ट नम्बर (Destination Part No) में उस अन्य मतदान केन्द्र का चयन करना होगा जिसमें सोर्स मतदान केन्द्र में से कुछ मतदाता स्थानान्तरित होकर जा रहे है या जुड़ रहे हैं। इसके पश्चात उन मतदाताओं की प्रारम्भिक क्रम संख्या (From SLNOINPART)व अंतिम क्रम संख्या (To SLNOINPART) दर्ज की जानी हैं। उक्त सूचना प्रविष्ट करने के पश्चात सेव (SAVE) बटन का चयन का उक्त सूचना को सेव किया जायेगा।

उदाहरण के लिए विधानसभा क्षेत्र संख्या 49–हवामहल के भाग संख्या 45 के 110 मतदाता जिनके प्रारम्भिक क्र, स, 801 से 910 हैं, को उक्त विधानसभा क्षेत्र के ही अन्य भाग संख्या 55 में स्थनान्तरित किया जाना हैं तो ऐसी स्थिति में डाटा ऐन्ट्री करते समय सोर्स पार्ट नम्बर के लिए 45, डेस्टीनेशन पार्ट नम्बर के लिए 55, एक्शन में पुनर्गठन एवं प्रारम्भिक क्र.स. में 801 तथा अंतिम क्र.स. में 910 की प्रविष्टि की जानी हैं।

उक्त के अतिरिक्त यदि विधानसभा क्षेत्र संख्या 49–हवामहल के भाग संख्या 45 उक्त 110 मतदाताओं के अतिरिक्त 101 अन्य मतदाता जिनके प्रारम्भिक क्र, स, 501 से 601 हैं, को भी उक्त विधानसभा क्षेत्र के ही एक अन्य भाग संख्या 55 में ही स्थनान्तरित किया जाना हैं तो ऐसी स्थिति में इसकी भी पृथक से डाटा ऐन्ट्री की जायेगी जिसमें सोर्स पार्ट नम्बर के लिए 45, डेस्टीनेशन पार्ट नम्बर के लिए 55, एक्शन में पुनर्गठन एवं प्रारम्भिक क्र.स. में 501 तथा अंतिम क्र.स. में 601 की प्रविष्टि की जानी हैं। अर्थात स्थानान्तरित होने वाले मतदाताओं की क्रम संख्या में निरन्तरता नहीं हैं अर्थात मतदाताओं की रेन्ज टूट रही है तो ऐसी स्थिति में उक्तानुसार मल्टीपल ऐन्ट्री करने की आवश्यकता रहेगी।

इसी प्रकार यदि विधानसभा क्षेत्र संख्या 49–हवामहल के भाग संख्या 45 के ही 85 मतदाता जिनके प्रारम्भिक क्र, स, 115 से 199 हैं, को भी उक्त विधानसभा क्षेत्र के ही एक अन्य भाग संख्या 58 में भी स्थनान्तरित किया जाना हैं तो ऐसी स्थिति में इसकी पृथक से डाटा ऐन्ट्री की जायेगी जिसमें सोर्स पार्ट नम्बर के लिए 45, डेस्टीनेशन पार्ट नम्बर के लिए 58, एक्शन में पुनर्गठन एवं प्रारम्भिक क्र.स. में 115 तथा अंतिम क्र.स. में 199 की प्रविष्टि की जानी हैं।

एकीकरण :

मतदान केन्द्रों के पुनर्गठन के दौरान जिन मतदान केन्द्रों का एकीकरण किया जाना हैं उनकी प्रविष्टी करते समय सोर्स पार्ट नम्बर में उस पार्ट नम्बर का चयन करना हैं जिसके मतदाता अन्य पार्ट (डेस्टीनेशन पार्ट) में स्थानान्तरित हो रहे हैं। इस प्रक्रिया में सोर्स पार्ट एवं अन्य भाग के सभी मतदाता अन्य पार्ट (डेस्टीनेशन पार्ट) में समाहित हो जायेंगें तथा सोर्स भाग समाप्त हो जायेगा।

उदाहरण के लिए विधानसभा क्षेत्र संख्या 49–हवामहल के भाग संख्या 15 में कुल 650 मतदाता हैं तथा भाग संख्या 16 में 732 मतदाता हैं। एकीकरण के प्रस्तावों के अनुसार भाग संख्या 16 के सभी 732 मतदाताओं को भाग संख्या 15 में सम्मलित करते हुए भाग संख्या 16 को समाप्त किया जाना हैं। ऐसी स्थिति में इस प्रस्ताव की डाटा ऐन्ट्री के करते समय केवल सोर्स पार्ट नम्बर के लिए 16, डेस्टीनेशन पार्ट नम्बर के लिए 15, एक्शन में एकीकरण का चयन करना हैं। उक्त प्रक्रिया से भाग संख्या 16 समाप्त हो जायेगा तथा भाग संख्या 15 में कुल 1382 (650 732) मतदाता हो जायेंगे तथा सिस्टम द्वारा उनकी क्र. स. भी तदानुसार परिवर्तित हो जायेगी।

इसी प्रकार यदि भाग संख्या 80 में भाग संख्या 81 व 82 का एकीकरण होता है तो प्रथम प्रविष्टी में सोर्स पार्ट नम्बर के लिए 81, डेस्टीनेशन पार्ट नम्बर के लिए 80, एक्शन में एकीकरण का चयन करना हैं तथा द्वितिय प्रविष्टि में सोर्स पार्ट नम्बर के लिए पुनः 82, डेस्टीनेशन पार्ट नम्बर के लिए 80, एक्शन में एकीकरण का चयन करना होगा।

विभाजन :

मतदान केन्द्रों के पुनर्गठन के दौरान विभाजन के प्रस्तावों को मूर्त रूप देते समय प्राय एक मतदान केन्द्र के कुछ मतदाताओं के लिए नया मतदान केन्द्र/भाग का सर्जन किया जाता हैं। यह भी पाया गया है कि विशेष प्रस्थितियों में दो मतदान केन्द्रों से विभाजित होकर एक नया मतदान केन्द्र का सर्जन भी किया जाता हैं।

उदाहरण के लिए विधानसभा क्षेत्र संख्या 49–हवामहल के भाग संख्या 78 में कुल 1950 मतदाता हैं जिनमें से 650 मतदाता जिनकी क्र.स. 1301 से 1950 हैं, को एक नये मतदान केन्द्र में स्थानान्तरित किया जाना हैं। ऐसी स्थिति में सोर्स पार्ट नम्बर के लिए 78, एक्शन में विभाजन एवं प्रारम्भिक क्र.स. में 1301 तथा अंतिम क्र.स. में 1950 दर्ज करना हैं। विभाजन की इस प्रकिया में अन्य पार्ट (डेस्टीनेशन पार्ट) का चयन इस मीनू में नही करना है। इससे भाग संख्या 78 का विभाजन होकर एक नये भाग का सर्जन होगा जिसमें भाग संख्या 78 के क्र.स. 1301 से 1950 के कुल 650 मतदाता स्थानान्तरित होकर आयेंगे तथा मूल भाग संख्या 78 में 1950 की जगह केवल 1300 मतदाता रह जायेंगे। इस नवसृजित भाग को कम्प्यूटर द्वारा मूल भाग नम्बर अर्थात भाग नम्बर 78 दिया जावेगा, इस नवसृजित भाग नम्बर 78 को रिपोर्ट 2 में आप आवश्यकतानुसार संशोधित कर नया भाग नम्बर दे सकते है। रिपोर्ट 2 में सम्बन्धित विधानसभा क्षेत्र के सभी नवसृजित भागों के क्रमांक आवश्यकतानुसार संशोधित करने की सुविधा प्रदान की गई है।

मतदान केन्द्रों के सूचियों की जॉच :

संबंधित विधान सभा क्षेत्रों के सभी मतदान केन्द्रों के एकीकरण, विभाजन एवं पुनर्गठन के प्रस्तावों की उक्तानुसार डाटा ऐन्ट्रीक करने के पश्चात सॉफ्टवेयर में उपलब्ध **'प्रिन्ट–चैकलिस्ट'** के आप्शन का उपयोग कर दर्ज किये गये प्रस्तावों की सूची **'रिपोर्ट–1'** में जॉच हेतु निकाली जा सकती हैं।

उक्त सूची की जॉच कर आवश्यक संशोधन किये जावे। आवश्यक संशोधनों के उपरान्त **'क्रियेट मैपिंग'** का उपयोग कर संबंधित विधानसभा क्षेत्रों के सभी पुराने एवं नवीनतम भागों की सूची का प्रिन्ट आउट निकाला जा सकता हैं। इस रिपोर्ट–2 में पुनर्गठन के दौरान प्रत्येक मतदान केन्द्र में संभावित बदलाव की स्थिति एवं नवीन मतदान केन्द्र संख्या उपलब्ध होगी। यह नवीन मतदान केन्द्र सिस्टम द्वारा जनरेटेड होंगे जिन्हें **'चेन्ज न्यू पार्ट'** ऑप्शन का उपयोग कर यूजर के अनुसार परिवर्तित किया जा सकता हैं।

रिपोर्ट–2 में मुद्रित नवीन भाग संख्या में यूजर के अनुसार परिवर्तित करने के पश्चात सॉफ्टवेयर में उपलब्ध 'फ्रिज' ऑप्शन का चयन करना होगा। फ्रिज ऑप्शन का चयन करने के उपरान्त यूजर द्वारा फीड किये गये मतदान केन्द्रों के एकीकरण, विभाजन एवं पुनर्गठन के प्रस्तावों में एवं यूजर द्वारा दिये गये नवीन भाग संख्या में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाना संभव नहीं होगा।

अतः 'फ्रिज' ऑप्शन का चयन करने से पूर्व यह सुनिश्चित करले कि आप द्वारा मतदान केन्द्रों के एकीकरण, विभाजन एवं पुनर्गठन के प्रस्तावों में एवं दिये गये नवीन भाग संख्या में किसी प्रकार की त्रुटि ना हो।

अन्तिम रूप से तैयार की गई .त्रुटिरहित रिपोर्ट 2 के प्रत्येक पृष्ठ पर सम्बन्धित निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी अपने हस्ताक्षर से प्रमाणित करेगें। उक्त प्रमाणित रिपोर्ट 2 की पी.डी. एफ. फाईल प्रति ऑन लाईन ई.आर.एम.एस. सोफ्टवेयर में अपलोड की जानी है। जब तक प्रमाणित रिपोर्ट 2 की प्रति एवं 'फ्रिज' ऑप्शन का चयन नही कर लिया जाता तब तक नवीन भागवार मतदाता सूची का डेटा सृर्जित करने के लिए सॉफ्टवेयर में उपलब्ध **'प्रोसेस'** बटन अनेबल नही होगा। यदि सम्बन्धित विधानसभा क्षेत्र की प्रमाणित रिपोर्ट 2 की पी.डी.एफ. फाईल अपलोड कर दी गई है एवं रिपोर्ट 2 का डेटा 'फ्रिज' कर दिया गया है तो ही प्रोसेस बटन अनेबल होगा जिसका चयन करने पर सम्बन्धित विधानसभा क्षेत्र की पुनगर्ठन के पश्चात नवीनभागवार प्रारूप मतदाता सूची 2017 का प्रिन्ट आउट निकाला जा सकता है।

अब संबधित विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची को मतदान केन्द्रों के पुनर्गठन के पश्चात नवीन भागवार सर्जित करने के लिए सॉफ्टवेयर में **'प्रोसेस'** बटन का चयन करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि रिपोर्ट 2 में आवश्यक संशोधन कर लिये गये है, उसकी प्रमाणित प्रति की पी.डी.एफ. फाईल आनलाईन ई.आर.एम.एस. में उपलोड कर दी गई है तथा डेटा को फ्रीज कर दिया गया है। **'प्रोसेस'** ऑप्शन का चयन करने के बाद संबंधित विधानसभा क्षेत्र का डाटा नवीन मतदान केन्द्रवार सर्जित हो जायेगा। सर्जन की उक्त प्रक्रिया की भागवार सूचना रिपोर्ट–3 के फार्मेट में उपलब्ध रहेगी।

यदि रिपोर्ट–3 के कॉलम संख्या 10 में **Yes** मुद्रित पाया जाता हैं तो इससे यह स्पष्ट है कि संबंधित विधानसभा क्षेत्रों के उक्त भाग नये पुनर्गठन के अनुसार तैयार हो गये हैं जिनकी भागवार प्रारूप मतदाता सूची–2017 आप द्वारा मुद्रित की जा सकती हैं।

मतदाता सूची के मुख्य पृष्ठ (परिशिष्ट–2) में संशोधन –

भागवार मतदाता सूची के परिशिष्ट 2 (मुख्य पृष्ठ) में उस भाग से सम्बन्धित मुख्य गॉव, पटवार सर्किल, कानूनगों सर्किल, तहसील एवं मतदान केन्द्र के नाम में संशोधन हेतु विभागीय बेवसाइट के मुख्य पृष्ठ पर उपलब्ध नेशनल ई.आर.एम.एस. आप्शन का प्रयोग कर आवश्यक संशोधन किये जा सकते है।